

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्नु राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु ₹ 764.10 लाख (सात करोड़ चौसठ लाख दस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य रेन गेज संधारण आदि के भुगतान हेतु ₹ 764.10 लाख (सात करोड़ चौसठ लाख दस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जाने का प्रावधान होगा :-
 - (i) परिशिष्ट-I पर वर्णित विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श, डी०पी०आर० प्रीप्रेषन, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य। (परिशिष्ट-I संलग्न)
 - (ii) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची के अधीन विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, रेन गेज संधारण एवं मौसमी गेज डिस्चार्ज मापक कर्मियों का भुगतान कार्य एवं अनुसूचित दर निर्धारण करने आदि का कार्य।
 - (iii) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, अंचल-2, देवघर के अधीन विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, रेन गेज संधारण एवं मौसमी गेज डिस्चार्ज मापक कर्मियों का भुगतान आदि कार्य।
4. कंडिका '3 (i)' में वर्णित कार्य वर्ष 2015-16 तक इसमें उल्लेखित राशि के अन्तर्गत कराये जा सकेंगे।
5. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-
 - (i) माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष - 796 - जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना उप शीर्ष - 75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान 49 आर्थिक सहायता (49P470180 796750649)

(ii) माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष - 800 - अन्य व्यय, उप शीर्ष -75- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष - 07- अन्य व्यय 59-अन्य व्यय (other charges) (49p470180800750759) ।

6. (क) कंडिका '3 (i)' में वर्णित कार्यों के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- (ख) कंडिको '3 (ii)' में उल्लेखित कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची होंगे जबकि कंडिका '3 (iii)' में उल्लेखित कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2 देवघर होंगे। इन सभी कार्यों के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची होंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी इन कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे।
8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में ₹ 400.00 लाख का मूल उपबंध है।
10. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
13. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/790/2013- राँची, दिनांक 21.07.2014

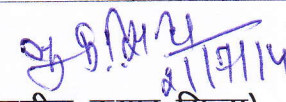
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

परिशिष्ट -I

क्र०	कार्य का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	कार्य की आकलित राशि
1.	पलामू जिला अन्तर्गत कनहर जलाशय योजना की संभाव्यता की जाँच हेतु गठित उच्च स्तरीय समीति के संचालन का व्यय	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर	₹ 69.12 लाख
2.	साहेबगंज जिला अन्तर्गत गंगा नदी के सम्पूर्ण दाये किनारे का बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य का DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, देवघर	₹ 104.00 लाख
3.	पलामू जिला अन्तर्गत मलय जलाशय योजना के ERM कार्य का DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर	₹ 45.50 लाख
4.	पलामू जिला अन्तर्गत अन्नराज जलाशय योजना के ERM का DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर	₹ 44.98 लाख
5.	चतरा जिला अन्तर्गत बक्सा जलाशय योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 40.00 लाख
6.	बोकारों जिला अन्तर्गत गवई नदी पर गवई बराज योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, हजारीबाग	₹ 70.00 लाख
7.	धनबाद जिला अन्तर्गत खुदिया जलाशय योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, हजारीबाग	₹ 60.00 लाख
8.	नन्दनी जलाशय योजना लोहरदगा जिला अन्तर्गत ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 44.00 लाख
9.	कतरी जलाशय योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 43.00 लाख
10.	धनसिंह टोली जलाशय योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 37.00 लाख
11.	तपकरा जलाशय योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 35.00 लाख
12.	रोरो सिंचाई योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य ।	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 51.00 लाख
13.	पलना जलाशय योजना के ERM कार्य के लिए DPR तैयार करने का कार्य	मुख्य अभियंता, चांडिल	₹ 40.00 लाख
14.	जल संसाधन विभाग अंतर्गत कोर्ट केश के ऑनलाईन मोनिटरिंग हेतु Software तैयार करने का कार्य	मुख्य अभियंता, राँची	₹ 10.50 लाख
15.	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची एवं समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-2, देवघर का स्वीकृत वार्षिक कार्य ।	मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	₹ 70.00 लाख
कुल :-			₹ 764.10 लाख


 (सुनील कुमार सिन्हा)
 सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
 21/07/14